

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे सीरीज के लिए चेन्नई पहुंची टीम इंडिया



खेल संवाददाता

नई दिल्ली। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मैच रविवार को चेन्नई में खेला जाएगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाली वनडे सीरीज का बेसब्री से इंतजार है, इसके अलावा भारतीय खिलाड़ी भी इसे खेलने के लिए काफी उत्सुक हैं। यह सीरीज 17 सितम्बर से शुरू होने वाली है। इसलिए टीम इंडिया भी चेन्नई पहुंच गई है। हार्दिक पंड्या ने ट्विटर पर कप्तान विराट कोहली के साथ अपनी एक फोटो शेयर की है। पांड्या ने इस फोटो के कैप्शन में लिखा, 'ऑफ टू चेन्नई' यानी हम चेन्नई के लिए रवाना हो चुके हैं। पंड्या ने आगे लिखा, 'सीरीज के लिए हम कप्तान विराट के साथ बहुत एक्साइटेड हैं।'

'सेटिंग' नहीं थी, इसलिए कोच नहीं बन पाया: सहवाग

खेल संवाददाता

मुंबई। अपनी खरी बातों और चुटकीली टिप्पणियों के लिए मशहूर हो चुके पूर्व विस्फोटक ओपनर वीरेंद्र सहवाग ने टीम इंडिया का कोच नहीं बन पाने के कुछ समय बाद अपना दिल खोलते हुए कहा है कि उनकी 'सेटिंग' नहीं थी इसलिए वह कोच नहीं बन पाए।

सहवाग को टीम इंडिया के कोच पद की होड़ में सबसे आगे माना जा रहा था। लेकिन कप्तान विराट कोहली की पसंद रवि शास्त्री टीम इंडिया के



नए कोच बन गए। सहवाग ने कोच के मुद्दे पर आखिर अपना गुबार

निकालते हुए कहा, देखिये मैं कोच इसलिए नहीं बन पाया क्योंकि मेरी किसी से भी सेटिंग नहीं थी। जो भी कोच चुन रहे थे उनसे मेरी कोई सेटिंग नहीं थी।

दुनिया के सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में शुमार रह चुके वीरेंद्र सहवाग ने विशेष बातचीत में कोच के मुद्दे पर अपने दिल का राज खोला। सहवाग ने कहा, मैंने सोचा नहीं था। मेरे पास बीसीसीआई के सचिव अमिताभ चौधरी और डॉ. श्रीधर यह ऑफर लेकर आए थे।

सिंधु सेमीफाइनल में, समीर हारे

खेल संवाददाता

सोल। ओलंपिक रजत पदक विजेता पीवी सिंधु ने कोरिया ओपन सुपर सीरीज बैडमिंटन के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया



जबकि समीर वर्मा पुरुष वर्ग में हारकर बाहर हो गए। पिछले महीने विश्व चैम्पियनशिप में रजत पदक जीतने वाली सिंधु ने दुनिया की 19वें नंबर की खिलाड़ी जापान की मिनात्सुमितानी को 21-19, 16-21, 21-10 से मात दी। पांचवीं वरीयता प्राप्त सिंधु का जापानी खिलाड़ी के खिलाफ रिकार्ड 1-1 का था। अब वह तीसरी वरीयता प्राप्त सुंग जि ह्यून या चीन की ही बिंगजियाओ से खेलेंगी।

पांच महीने पहले ही समीर ने इंडिया सुपर सीरीज के पहले दौर में सोन वान को हराया था। उसके बाद से हालांकि इस कोरियाई खिलाड़ी ने शानदार प्रदर्शन किया है। शीर्ष वरीयता प्राप्त सोन वान ने समीर को 20-22, 21-10, 21-13 से हराया। महिला एकल में सिंधु ने 6-2 की शुरुआती बढ़त बना ली थी लेकिन मिताानी ने वापसी करके ब्रेक तक 11-9 से बढ़त बना ली।

यूरोप दौरा: भारतीय महिला टीम की हैट्रिक हार

खेल संवाददाता

नीदरलैंड्स। भारतीय महिला हॉकी टीम को यूरोप दौरे पर एक और हार का सामना करना पड़ा है। इस बार भारतीय महिलाओं को तीसरे मैच में डेन बोश्च ने 3-1 से मात दी। मेजबान टीम के लिए वान डेन असेम ने 12वें और 45वें मिनट, इमके होएक ने 57वें मिनट में गोल किए। वहीं मेहमान टीम के लिए नवदीप कौर ने 47वें मिनट में एक गोल मारा। पहले क्वार्टर में पहले दस मिनट तक भारतीय महिलाओं ने बेहतरीन खेल दिखाते हुए गेंद को अधिकतर समय अपने पास रखा। लेकिन 12वें मिनट में मेजबान टीम को पेनाल्टी कॉर्नर मिला जिसे असेम ने गोल में बदल कर भारत को बैकफुट पर धकेल दिया। दूसरे क्वार्टर में दोनों टीमों ने आक्रामक शुरुआत की लेकिन धीरे-धीरे भारतीय टीम दबाव में बिखरती चली गई। 22वें मिनट में हालांकि लालरेमसियामी गोल करने के करीब आई लेकिन डेन बोश्च की गोलकीपर ने उनके प्रयास को असफल कर दिया।



जीएसटी के तहत घर खरीदारों पर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं है।



जीएसटी के अंतर्गत घरों पर कर देयता कम है।

- सीबीईसी और राज्यों को कई शिकायतें मिली हैं कि चूंकि जीएसटी के अंतर्गत निर्माणाधीन फ्लैट, कॉम्प्लेक्स इत्यादि के मामलों में वर्क कॉन्ट्रैक्ट सेवा पर कर की दर 12% है, इसलिए जो लोग फ्लैट बुक करके कुछ भुगतान 1 जुलाई, 2017 से पहले कर चुके हैं, उन्हें 1 जुलाई, 2017 के बाद की देय राशि पर अधिक कर का भार सहने के लिए कहा जा रहा है। यह जीएसटी कानून के विरुद्ध है, जैसा कि नीचे स्पष्ट किया गया है।
- जीएसटी के अंतर्गत फ्लैट, कॉम्प्लेक्स एवं भवन/बिल्डिंग के निर्माण पर पहले लगने वाले अनेक केन्द्रीय एवं राज्य करों की तुलना में जीएसटी का भार कम है।
- भवन निर्माण में लगने वाली अधिकतर सामग्री पर पहले 12.5% की दर से केन्द्रीय उत्पाद शुल्क देय था। सीमेंट पर कर की दर और भी अधिक थी। भवन निर्माण सामग्री पर अधिकतर राज्यों द्वारा 12.5% से लेकर 14.5% की दर से वैट लगाया जाता था। इसके अलावा निर्माण सामग्री पर राज्यों द्वारा प्रवेश कर भी लगाया जाता था। सर्विस टैक्स के भुगतान हेतु इन सभी करों के इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ नहीं मिलता था। कंपोजीशन स्कीम के अंतर्गत देय वैट के भुगतान हेतु भी इन सभी करों का लाभ प्राप्त नहीं था। अतः पहले फ्लैट के मूल्य में करों पर कर का भार भी शामिल रहता था।
- परिणामस्वरूप, निर्माण सामग्री पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, वैट, प्रवेश कर इत्यादि जो बिल्डरों द्वारा दिया जाता था, उसे फ्लैट के मूल्य में शामिल कर ग्राहक से वसूला जाता था। चूंकि यह फ्लैट के मूल्य में शामिल होते थे अतः यह ग्राहक को दिखाई नहीं देते थे।
- पहले फ्लैट, मकान या ऑफिस के कंस्ट्रक्शन पर सर्विस टैक्स की दर 4.5% थी। इसके अतिरिक्त कंपोजीशन स्कीम के अंतर्गत 1% वैट भी देय था। खरीदारों को कर की दर केवल 5.5% लगती थी। कुछ राज्यों तथा शहरों में कंपोजीशन स्कीम के अंतर्गत वैट की दर 2% या उससे भी ज्यादा थी वहां क्रेता को दिखने वाला कर केवल 6.5% लगता था। उपभोक्ता फ्लैट की लागत में शामिल इनपुट टैक्स का भार और करों पर लगने वाले कर को जान नहीं पाता था।
- जीएसटी के अंतर्गत परिस्थिति भिन्न है। जीएसटी के अंतर्गत लागू 12% रेट को ऑफसेट करने के लिए पूरा इनपुट क्रेडिट उपलब्ध है। परिणामस्वरूप सन्निहित (एम्बेडेड) इनपुट टैक्स फ्लैट की लागत का हिस्सा नहीं होने चाहिए। जीएसटी की लागू 12% दर का भुगतान उपलब्ध इनपुट क्रेडिट से ही पूरा हो जाना चाहिए और इसी कारण से बिल्डरों को बचे हुए इनपुट टैक्स क्रेडिट का रिफंड उपलब्ध नहीं है।
- बिल्डरों से उम्मीद की जाती है कि वे जीएसटी के अंतर्गत घटे हुए कर के भार का फायदा कीमत/किश्त कम करके क्रेताओं तक पहुँचाएंगे। सभी बिल्डरों/कंस्ट्रक्शन कंपनियों को सलाह दी जाती है कि वे निर्माणाधीन फ्लैट्स के लिए उपभोक्ताओं से जीएसटी लागू होने के बाद देय किश्त (सभी करों सहित) की अधिक राशि ना मांगें।
- इस कानूनी स्पष्टीकरण के उपरांत भी अगर कोई बिल्डर ऐसा करता है तो इसे जीएसटी कानून की धारा 171 के अंतर्गत मुनाफाखोरी (प्रोफीटियरिंग) माना जायेगा।

माल और सेवा कर - अच्छा है सरल है

केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के वाणिज्यिक कर विभाग
www.cbec.gov.in, www.cbec-gst.gov.in

